

के उत्तर में बताया गया था कि अप्रैल, 1962 से लेकर मार्च 1964 तक के दो सालों में 3325 कांस्टेबलों को हैड कांस्टेबल बनाया गया। इन पोस्ट्स में से 50 प्रतिशत पोस्ट्स यानी 1662 पोस्ट्स जो रिजर्व की गई थीं उन में से केवल 298 ही इन जातियों के लोगों को मिलीं और इसी तरह से 1364 की कमी रही। 745 आदिमियों को ए० एस० आई० बनाया गया। 21 प्रतिशत पोस्ट्स रिजर्व थीं। इसका मतलब हुआ कि 156 रिजर्व पोस्टें थीं। इन में से 32 ही इन लोगों को मिलीं और 124 पोस्टें दूसरों को दे दी गईं और इनको नहीं मिलीं। 418 एस० आई० की पोस्टें थीं जिनमें से साढ़े बारह प्रतिशत रिजर्व थीं यानी 52 रिजर्व पोस्टें थीं। इन में से चौदह ही इनको मिलीं, 38 नहीं मिलीं। 304 इंस्पेक्टरों की पोस्टें में से साढ़े बारह परसेंट के हिसाब से 38 इनको मिलनी चाहिये थीं जब कि मिलीं कुल दो और इस तरह से 36 की कमी रही। 80 डी० एस० पी० की पोस्टें थीं और साढ़े बारह परसेंट के हिसाब से दस इनको जानी चाहिये थीं लेकिन इनको मिली केवल एक और नौ दूसरों को दे दी गईं। 318 एस० पी० की पोस्ट्स थीं और साढ़े बारह परसेंट के हिसाब से 39 इनको मिलनी चाहिये थीं लेकिन कोई भी नहीं दी गईं।

इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के महकमों के बारे में मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं लेकिन चूंकि समय नहीं है मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता हूँ। पोस्ट्स एंड टेनीन्स डिपार्टमेंट में जो पोस्ट्स रिजर्व की गई थीं उन में से बहुत कम इन जातियों के लोगों को मिली हैं। इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स में कमी है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। वह दिखाने को कुछ दिखाती है और करने को कुछ और ही करती

है। नेवी में एक भी अफसर गजेटिड पोस्ट पर नहीं है। जब कोई बड़ी पोस्ट खाली होती है तो जो लोग लभे होते हैं उनमें से ही किसी को लगा दिया जाता है। इस तरह की बे-इंसाफियां जो शैड्यूल कास्ट के लोगों के साथ हो रही हैं, इनका अन्त होना चाहिये। इनका अन्त कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

पहला सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूँ कि इसके लिए एक अल्ट्रा मंत्रालय होना चाहिये। दूसरा यह कि हर प्रदेश में एक कमिश्नर सेंटर की तरफ से होना चाहिये। यह जो मंत्रालय है यह इलेक्शन कमिश्नर की तरह स्वतन्त्र होना चाहिये और राष्ट्रपति के अधीन होना चाहिये। जो इनके अफसर जिलों में लगे हैं, वे पोस्ट्स भी गजेटिड होनी चाहियें, वे भी गजेटिड पोस्ट्स पर होने चाहियें।

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up Private Members' Business:

Shri Hem Raj.

14.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS.

FIFTY-THIRD REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): Sir, I beg to move:

"That this House agrees with the Fifty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th December, 1964."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Fifty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented

[Mr. Deputy-Speaker]

to the House on the 9th December, 1964."

The motion was adopted.

12.29½ hrs.

RESOLUTION RE: MANUFACTURE OF NUCLEAR WEAPONS—contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Hukam Chand Kachwai on the 27th November, 1964:

"This House is of opinion that Government of India should manufacture nuclear weapons."

Shri Kachhavaiya is to begin his reply.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव 27 नवम्बर, 1964 को रक्खा था सभी माननीय सदस्यों ने उसका हृदय से स्वागत किया था और सब ने यह इच्छा प्रकट की थी कि इस देश में अणु बम अवश्य बनाया जाये। मैं उन सब सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया वे वही लोग थे जो चाइना को चाहते हैं या जो रूस को चाहते हैं। दक्षिणपन्थी और वामपन्थी सदस्यों ने, जो चाइना गुट को चाहते हैं, इस रूप में इसका विरोध किया कि यदि भारत भी अणु बम बनाने लग जाये तो उनके जो इरादे हैं, वह हिन्दुस्तान में जो चाहते हैं, वह मफल नहीं होंगे। इसलिये उन्होंने अपना ऐसा विचार इस सदन में व्यक्त किया कि भारत को अणु बम नहीं बनाना चाहिये। मुझे याद है कि श्री हीरेन मुकर्जी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह बतलाया कि भारत को रूस से हर प्रकार की सहायता लेनी चाहिये। उन्होंने रूस की ओर अपना झुकाव दिखलाते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि भारत रूस के गुट में मिल जाये। मगर चूँकि दोनों में से किसी गुट में न मिलते हुए हम चीन का डट कर मुकाबला करना चाहते हैं इसलिये मैंने प्रस्ताव रक्खा था

कि चीन के पास जिस प्रकार के हथियार हैं उसी प्रकार के हथियारों का निर्माण हमें करना चाहिये। हथियारों का निर्माण करने का अर्थ यह नहीं है कि उनको हम किसी पर चलायें। हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति हो कि हम अपने ढंग से अपना बचाव कर सकें, हमारी शक्ति को देख कर पड़ोसी शत्रु को लगे कि हम से टकराना उनके लिये कठिन होगा। इसलिये हमारे सामने आज जो समस्या है उसको देखते हुए हमें अणु बमों का निर्माण करना चाहिये परन्तु हमारी सरकार इस बात के लिये राजी नहीं होती।

हमारे प्रधान मंत्री ने बार बार अनेकों भाषणों में यह कहा कि हमें अणु बम नहीं बनाना चाहिये। जब भी उनके भाषण हुए, जहाँ भी उनके भाषण हुए उन्होंने इसी बात को दोहराया कि हम को अणु बमों का निर्माण नहीं करना चाहिये। देश को अणु बम बनाने की भावना को जानते हुए भी जब प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम अणु बम न बनायें तो उन को भारत की जनता की चिन्ता को भी समझना चाहिये, उन्हें उस पर ध्यान देते हुए काम करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि उनको अपनी ओर से ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिये। उन को हिम्मत के साथ सारी जनता की भावना को जान कर और इस सदन की इच्छा को जान कर उस का आदर करना चाहिये। हाल में ही जेनेवा में अमरीकी अणुबम विशेषज्ञों का सम्मेलन हुआ। वहाँ पर लोगों ने कहा कि अणु बम बहुत सस्ते दामों में बन सकता है, उस के ऊपर कुल साढ़े सतरह लाख रुपया खर्च आयेगा। लेकिन हमारी सरकार जनता में एक गलतफहमी फैलाना चाहती है कि इस में काफी रुपया लगेगा। उन का कहना है कि इस में 40 करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं इस चीज को नहीं मानता। जब अमरीका के अणु बम विशेषज्ञों